बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग – 3

16 फाल्गुन, 1939 (श.)

बुधवार, तिथि ----------

7 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 18

1.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	....	....	01
2.	नगर विकास एवं आवास विभाग	....	....	07
3.	सहकारिता विभाग	....	....	01
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	....	....	03
5.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	....	....	01
6.	पर्यटन विभाग	....	....	04
7.	आपदा प्रबंधन विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**18**

मोबाइल फोन पर संदेश

* 108. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नई दिल्ली स्थित बिहार निवास में कमरे के आरक्षण से संबंधित सूचना संबंधित सक्षम पात्रों के मोबाइल फोन कर संदेश द्वारा सूचित किये जाने का प्रावधान अभी तक नहीं है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रावधान को लागू करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

सड़क-नाले का निर्माण

* 109. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के खेमनीचक कॉलोनी की सड़क की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है जिससे मुहल्लावासियों को सड़क पर चलना दूभर हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दो किलोमीटर लंबी सड़क पर पानी निकासी हेतु नाली की सुविधा नहीं होने से सालों भर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र खेमनीचक कॉलोनी की सड़क एवं नाले का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

बिचौलियों पर रोक

* 110. **श्री केदार नाथ पाण्डेय, डा. दिलीप कुमार चौधरी** एवं **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में धान बिक्री हेतु पंजीकृत किसानों में रैयती किसानों से गैर रैयती किसानों की संख्या अधिक है;

(ख) क्या यह सही है कि रैयती किसानों के पंजीकरण के लिए एल.पी.सी. देना होता है जबकि गैर रैयती किसान स्वघोषणा के आधार पर पंजीकृत किये जाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि गैर रैयती किसानों के नाम पर बिचौलिये पंजीकृत हो गये हैं और धान खरीद-बिक्री का व्यापार कर मुनाफा कमा रहे हैं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी आदि का भी लाभ ले रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गैर रैयती किसानों के नाम पर पंजीकृत बिचौलियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

अंचलाधिकारी पर कार्रवाई

***** 111. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि ग्राम-पो.-अजनौरा, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा के श्री बृजनन्दन प्रसाद, पिता-स्व. मोनू सिंह एवं चन्द्रिका प्रसाद, पिता-स्व. श्री गोप को खतियानी 4-4 डिसमिल जमीन बंटवारा करके मिली और उस पर मकान बना हुआ है तथा बंटवारा में ही बृजनन्दन प्रसाद के मकान से 4 फीट का खानदानी रास्ता है;

(ख) क्या यह सही है कि श्री बृजनन्दन प्रसाद ने वर्ष 1974 में 2 डिसमिल जमीन केवाला कराया था जो उनके खानदानी रास्ता के अंतिम स्थान पर है और उस 2 डिसमिल जमीन पर ही बृजनन्दन प्रसाद का दालान वर्षों से अवस्थित है;

(ग) क्या यह सही है कि बृजनन्दन प्रसाद अपनी केवाला की गई जमीन पर चारदीवारी निर्माण करने लगे तो चन्द्रिका प्रसाद द्वारा आपत्ति की गयी और आपत्ति के निराकरण हेतु बृजनन्दन प्रसाद ने अंचलाधिकारी, नूरसराय के यहां जमीन की नापी के लिए शुल्क जमा कर आग्रह किया;

(घ) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी ने उक्त जमीन की नापी कराये बगैर बृजनन्दन प्रसाद के घर के सामने और चन्द्रिका प्रसाद के घर के बगल के 4 फीट की गली को चन्द्रिका प्रसाद का बता दिया और बृजनन्दन प्रसाद का रास्ता पूरी तरह रोक दिया;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बृजनन्दन प्रसाद की जमीन की नापी कराकर मांग (2 डी. जमीन) के विपरीत इनके एक मात्र रास्ता के संबंध में गलत प्रतिवेदन देकर विवाद खड़ा करने वाले अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है?

भौतिक सत्यापन नहीं

***** 112. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य खाद्य निगम (एस.एफ.सी.) के संपूर्ण राज्य के गोदामों से लाखों टन अनाज गायब है;

(ख) क्या यह सही है कि कुछ गोदाम जिसका भौतिक सत्यापन हुआ और लाखों टन अनाज गायब पाया गया, जो विभिन्न सामाचार पत्र में भी निकला है, सरकार इसका विस्तृत ब्योरा देना चाहेगी;

(ग) क्या यह सही है कि निगम के द्वारा प्रत्येक महीना गोदाम के अनाज का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है एवं नीचे के सभी अधिकारी मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे गोदाम, जहां से अनाज गायब हुआ है या जहां का रेगुलर भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है कि निगरानी विभाग की विशेष टीम से जांच कराकर दोषी को सजा देना चाहती है ?

रैन बसेरों की मरम्मत

***** 113. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना और पूरे बिहार में रैन बसेरा दूर-दराज से आये मुसाफिरों के लिए बनाया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि अधिकतर रैना बसेरा पर स्थानीय लोग और जुआरियों का कब्जा हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि रैन बसेरों में पानी और बिजली नहीं है, फर्श टूटे पड़े हैं, दीवारें और छत जर्जर हो चुकी हैं और नियमित सफाई नहीं होने के कारण शौचालय गंदे पड़े हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रैन बसेरों को अवैध कब्जा से मुक्त कराकर, पानी-बिजली मुहैया कराने के साथ-साथ जर्जर हो चुके रैन बसेरों की मरम्मत कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

गली-नाली निर्माण का चयन

***** 114. **श्री राजन कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद नगर परिषद अधीन वार्ड नं.-3 में सत्येन्द्र नगर कॉलोनी स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कॉलोनी में नाली नहीं होने के कारण बरसात में नाली का पानी जनता के दरवाजे पर जमा हो जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कॉलोनी के मुख्य नाला का भी निर्माण नगर परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त कॉलोनी में बहुत सारी गली एवं नाली के निर्माण का चयन नगर परिषद् द्वारा नहीं किया गया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कॉलोनी की नाली एवं गली का चयन कर निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रदत्त शक्तियों का कार्यान्वयन

***** 115. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत को प्रदत्त शक्तियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय पत्रांक-8/भू.सु. पंचायत 22/2001-632 रा. दिनांक-26.9.01 के कंडिका 8 एवं 10 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर के अजवां पंचायत में अबतक नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि अजवां पंचायत के मुखिया द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु पत्रांक-16(प.अ.) दिनांक-4.2.17 एवं पत्रांक-08(प.अ.) दिनांक 28.12.16 द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं पत्रांक-18(प.अ.) दिनांक-7.2.17 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचना दी गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत कंडिका 8 एवं 10 में वर्णित ग्राम पंचायत को प्रदत्त शक्तियों का कार्यान्वयन यथाशीघ्र लागू करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

ऐतिहासिक धरोहर का विकास

***** 116. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के बगहा नगर परिषद् अन्तर्गत चण्डी स्थान, देवी स्थान, पक्की बावली तालाब, बाबा विश्वम्भर नाथ मंदिर, बनकटवा एवं प्रखंड बगहा-2 में देवी स्थान मदनपुर ऐतिहासिक स्थल हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को विकसित कर पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल से जोड़ने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

लेन का पुनर्निर्माण

***** 117. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दानापुर नगर परिषद के वार्ड नं.-27 में श्री इन्द्रदेव चौधरी के मकान से मुकेश महतो के मकान की मुख्य सड़क तक का लेन का निर्माण वर्षों पूर्व विधायक निधि से कराया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त ढलाई लेन की स्थित खराब हो चुकी है, जगह-जगह पर पानी का जमाव हो जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सार्वजनिक हित में क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित लेन का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पर्यटन रोड मैप

*118. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दिसंबर, 2015 में ही पर्यटन रोड मैप बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है;

(ख) क्या यह सही है कि इसके तहत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उसे चरणबद्ध तरीके से पांच साल में विकसित किया जाना था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्यटन रोड मैप बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

ऑन लाइन दाखिल खारिज

* 119. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जमीन की रजिस्ट्री में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने व लोगों की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने ऑन लाइन दाखिल खारिज की व्यवस्था की है;

(ख) क्या यह सही है कि 45 अंचलों में अभी ऑन लाइन दाखिल-खारिज की व्यवस्था शुरू की गयी है लेकिन जमीन का रेकॉर्ड तैयार नहीं होने एवं, जमाबंदी पंजियों का डिजिटाइजेशन पूरा नहीं होने के कारण दाखिल खारिज में अड़चन और परेशानी हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि नकल जमीन का रेकॉर्ड का साफ्टवेयर का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ जिसके कारण परेशानी हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सभी अंचलों में ऑन लाइन दाखिल खारिज की व्यवस्था करना चाहती है ?

राजकीय मेले का दर्जा

***** 120. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर में मकर संक्रांति मेला का उद्घाटन वर्ष 1956 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्रीबाबू के द्वारा किया गया था जिसके बाद निरंतर प्रत्येक वर्ष मेला धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों के साथ बहुत बड़ी आबादी शामिल होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कूड़ादान की व्यवस्था

*****121. **डा. सूरज नंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के अनीसाबाद स्थित मित्रमंडल कॉलोनी, डी. सेक्टर, वृन्दावन लेन पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-11 में स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वार्ड के पार्षद द्वारा वृन्दावन लेन में एक बड़ा कूड़ादान रखा गया था जो लगभग तीन माह से हटा दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि कूड़ादान हटा देने से वहां के निवासियों को कूड़ा इधर-उधर फेंकना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुन: कूड़ादान की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पोखर का सैन्दर्यीकरण

*122. **श्री सोनेलाल मेहता** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि खगड़िया जिला मुख्यालय स्थित सन्हौली पोखर का विस्तार, सौन्दर्यीकरण, चहारदीवारी का निर्माण, पोखर में मोटर वोट की व्यवस्था, बैठने हेतु सीमेंट का चबूतरा, फूल-पौधे आदि कार्य वर्ष 1988-89 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा कराये गये थे;

(ख) क्या यह सही है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी के स्थानान्तरण होने के बाद पोखर की सुरक्षा में किये गये सारे इन्तजाम नष्ट कर दिये गये;

(ग) क्या यह सही है कि 1988-89 के बाद कुछ वर्षों तक खगड़िया शहर एवं आसपास के लोग स्वास्थ्य लाभ हेतु इस पोखर के चारों तरफ मार्निंग वाक करते थे;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपर्युक्त खंडों में वर्णित पोखर का आमजनों के स्वास्थ्य के हित में पुन: सौन्दर्यीकरण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*123. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-7086/6.10.2016 में निहित निदेश के आलोक में मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध राशि से मा.स.वि.स./मा.स.वि.प. की अनुशंसा पर जिला स्तरीय संचालन समिति ने स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन कराये जाने हेतु आदेश ज्ञापांक-118/3.11.2016 के द्वारा राशि हस्तांतरण का आदेश दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को 6,88,51,450 रु. आवंटित किया गया था जिसमें नगर परिषद मोतिहारी को 2,38,05,500 रु. आवंटित था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाएगी कि मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र मा.स.वि.स./मा.स.वि.प. की किन-किन योजनाओं को लिया गया तथा कौन कार्य कराया गया और जिला संचालन समिति की बैठक नहीं होने के बावजूद मनमाने ढंग एवं अवैध तरीके से उक्त राशि के द्वारा कार्य कराकर सरकारी राशि का गबन करने वाले पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अन्यत्र कचरा प्रबंधन

*124. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में शहर की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए पटना नगर निगम ने अपना अभियान प्रारंभ करते हुए स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाई;

(ख) क्या यह सही है कि पटना जिला के पुनाईचक मुहल्ला के गुलाब राय गली, रामा भवन के सामने कचरा का अम्बार रहता है, मुहल्ला एवं मुहल्ला के इतर लोग भी कचरा फेंका करते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि कचरे के कारण पूरा वातावरण प्रदूषित रहता है एवं गली में गंदगी की भरमार रहती है, स्ट्रीट लाइट बंद पड़े हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिला के उक्त मुहल्ला की गली से कचरा फेंकने की व्यवस्था समाप्त कर अन्यत्र कचरा प्रबंधन करना चाहती है, यदि हां तो कैसे और कबतक, नहीं तो क्यों ?

सरकारी अनुदान का भुगतान

*125. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत वर्ष 2017 में आयी बाढ़ से लगभग पच्चास व्यक्ति की मृत्यु हुई एवं कई दुर्घटनाग्रस्त हुए जिनको सरकारी अनुदान चार लाख रुपया मिलना था जो अभी तक नहीं मिल पाया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बाढ़ में डूबने से हुई मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों को एवं क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को सरकारी अनुदान कबतक भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 07 मार्च, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्